**'ई फार्म (पारिवारिक पेंशन आवेदन प्रपत्र) भरकर जमा देते समय नीचे बताए गए दस्तावेजों के साथ जमा देना आवश्यक है:—**

1. सफेद कागज पर आवेदनकारी का हस्ताक्षर व बाएँ हाथ के अंगूठे का स्पष्ट व स्वच्छ निशान (दो प्रतियों में) सत्यापित करवा कर 'ई फार्म' के साथ जमा देना होगा ।

2. आवेदनकारी की पासपोर्ट साईज फोटो (हाल में खिंचवाई गई) की दो प्रतियाँ सफेद कागज पर लगाकर सत्यापित करवा कर 'ई फार्म' के साथ जमा देनी होगी । फोटो पर उस व्यक्ति का नाम, जिसकी फोटो है, लिखकर, सत्यापित करवाना होगा ।

3. आवेदनकारी की पासपोर्ट साईज फोटो (हाल में खिंचवाई गई) की दो प्रतियाँ सफेद कागज पर लगाकर सत्यापित करवा कर लिफाफे में भरकर 'ई फार्म' के साथ जमा देनी होगी । फोटो पर उस व्यक्ति का नाम जिसकी फोटो है, लिखकर, सत्यापित करवानी होगी ।

4. सफेद कागज पर आवेदनकारी के बाएँ हाथ की हथेली व सभी अंगुलियों की स्पष्ट छाप (दो प्रतियों में) सत्यापित कर 'ई फार्म' के साथ जमा देनी होगी ।

5. आवेदनकारी के द्वारा उपयुक्त अधिकारीगण से अपना जीवित प्रमाण पत्र, बेरोजगार प्रमाण पत्र तथा पुनर्विवाह न करने/विवाह प्रमाण पत्र लेकर 'ई फार्म' के साथ जमा देना होगा ।

6. दो प्रतियों में सफेद कागज पर आवेदनकारी की लंबाई व पहचान चिह्न के तौर पर शारीरिक चिह्न लिखकर सत्यापित करवा कर 'ई फार्म' के साथ जमा देनी होगी ।

7. मृतक पेंशनर का 'मूल पेंशन कार्ड' 'ई फार्म' के साथ जमा देना होगा ।

8. 'ई फार्म' के साथ ' बैंक विकल्प फार्म' (Bank Option form) की दो प्रतियाँ भलीभाँति भरकर बैंक अधिकारी से सत्यापित करवाकर 'ई फार्म' के साथ जमा देनी होगी ।

9. आवेदनकारी को अपनी उम्र का प्रमाणपत्र उपयुक्त अधिकारी से प्राप्त कर 'ई-फार्म' के साथ जमा देना होगा।

10. आवेदनकारी यदि मृतक पेंशनर की स्त्री हो, और उनकी पच्चीस वर्ष से कम उम्र की संतान हों, तो संतान का उम्र प्रमाणपत्र उपयुक्त अधिकारी से प्राप्त कर जमा देना होगा ।

11. मृतक पेंशनर के 'मृत्यु प्रमाणपत्र' की छाया प्रति उपयुक्त अधिकारी से सत्यापित करा कर जमा देनी होगी।

12. आवेदनकारी को संपर्क फोन नं. की जानकारी देना आवश्यक है,

\# सभी मामले में जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तावित निर्दिष्ट फार्म में नगरनिगम/नगरपालिका/पंचायत प्रधान के उपयुक्त अधिकारी (Corporation/ Municipal authority/ Panchayat Pradhan) से हस्ताक्षरित होने पर ही ग्राह्य होगी (इस फार्म को जमा देने के लिए आवेदनकारी को पेंशन आफिस के अधिकारी के साथ संपर्क करने के लिए कहा जाता है)।

\# सत्यापित करने के लिए उपयुक्त अधिकारी क्रमानुसार इस प्रकार है:—

(i) (क) राजपत्रित सरकारी अधिकारी (Gazetted Govt. Officer)

(ख) किसी प्रमुख पत्तन न्यास का श्रेणी-I या श्रेणी-II अधिकारी (Class-I or Class-II Officer of a Major Port Trust)

(ii) अंचल प्रधान या पंचायत या नगर पालिका का स्थानीय विधायक ,जिस नगर पालिका के अंतर्गत आवेदक निवास करता हो (Anchal Pradhan or Panchayat or Local Councilor of Municipality in which the applicant resides)

(iii) सरकारी चिकित्सा अधिकारी रजिस्टेशन सं. सहित आदि (Govt. medical officer with regn. No and the like.)

# 'ई फार्म' जमा देने के दिन से एक महीने पूर्व से अधिक पुराने सत्यापित दस्तावेजों की छाया प्रतियों को स्वीकार नहीं भी किया जा सकता है ।

ध्यान रहे, एकमात्र उपयुक्त मूल मृत्यु प्रमाण पत्र (Original Death Certificate) ही पारिवारिक पेंशन (Family pension) के आवेदन हेतु ग्राह्य होगा।

'ई फार्म' जमा देते समय निम्नलिखित विषयों की जाँच करनी जरूरी है :

1) ग्रीन कार्ड (Green Card) के सामने निर्धारित स्थान पर आवेदनकारी की फोटो लगाकर सत्यापित करवा कर लाना होगा ।

2) ग्रीन कार्ड (Green Card) के सामने निर्धारित स्थान पर आवेदनकारी का हस्ताक्षर व बाएं हाथ (बायां हाथ संभव न होने पर दाहिने हाथ) के अंगूठे की छाप सत्यापित करवाकर लानी होगी। ग्रीन कार्ड (Green Card) के पिछले पृष्ठ पर आवेदनकारी का हस्ताक्षर एवं बाएँ हाथ (बायां हाथ संभव न होने पर दाहिने हाथ) के अंगूठे की छाप सत्यापित करवा कर लानी होगी।

3) 'ई फार्म' भलिभाँति भरकर पिछले पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर आवेदनकारी का हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ (बायां हाथ संभव न होने पर दाहिने हाथ) के अंगूठे की छाप दो उपयुक्त अधिकारियों द्वारा सत्यापित(पूरा नाम, पता व कार्यालय की मुहर सहित) करवाकर लानी होगी। 'ई फार्म' के पीछे निर्दिष्ट स्थान पर दो गवाहों का नाम, पता व हस्ताक्षर करवाकर लाना होगा ।

4) बैंक विकल्प फार्म (Bank Option form) पर निर्दिष्ट स्थान पर बैंक खाता सं.(Bank a/c No.) लिख कर लाना होगा तथा रोकड़ अनुभाग (Cash Section) से नोट करवाकर जमा देना होगा । केवल मात्र बैंक विकल्प फार्म (Bank Option form) ही बैंक अधिकारी द्वारा सत्यापित करा कर जमा देना होगा ।

5) सभी सत्यापनों (attestation) में सत्यापन करने वाले अधिकारियों का पूरा नाम मुहर सहित लिखा होना चाहिए ।

6) जीवित प्रमाण पत्र, (Life Certificate), पुनर्विवाह न होना/विवाहित (Non-remarriage/ marriage) तथा बेरोजगार प्रमाण पत्रों (Non employmtent certificate) पर निर्दिष्ट स्थान पर आवेदक का हस्ताक्षर एवं बाएं हांथ (बाएँ हाथ का संभव न होने पर दाहिने हाथ) के अंगूठे का निशान सत्यापित कर लाना होगा ।

7) सत्यापन प्राधिकारी (Attestation authority) यदि चिकित्सक हो तो उनकी पंजीयन संख्या देनी आवश्यक है ।